बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी.आर. 401 / 2023

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के द्वितीय उच्च माध्यमिक (12वीं) सैद्धान्तिक परीक्षा, दिसम्बर, 2022 के प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के उपयोग हेतु सभी सामग्रियों की आपूर्ति के संबंध में सभी केन्द्राधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए आवश्यक सूचना

एतद द्वारा बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के द्वितीय उच्च माध्यमिक (12वीं) परीक्षा, दिसम्बर, 2022 के सभी केन्द्राधीक्षक, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि **बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) के द्वितीय उच्च माध्यमिक (12वीं) सैद्धान्तिक परीक्षा दिसम्बर, 2022 कार्यक्रमानुसार प्रत्येक प्रमंडलीय मुख्यालय जिला में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 08.11.2023 से 24.11.2023 तक दोनों पालियों में आयोजित होगी।**

2. इस परीक्षा के संचालन हेतु सामग्री यथा– **विभिन्न आकार एवं रंग का लिफाफा (चस्पे स्टिकर सहित), कॉरूगेटेड बॉक्स (चस्पें स्टिकर सहित), प्लास्टिक पॉली बैग एवं केन्द्राधीक्षक के नियुक्ति पत्र, सहमति पत्र, परीक्षा संचालन निर्देशिका, विधि–व्यवस्था संबंधित पत्र, अन्य प्रशासनिक पत्र, रौलशीट, उत्तरपुस्तिका के डिस्पैच मेमो का बुकलेट, वीक्षक का घोषणा पत्र, परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 की प्रति, परीक्षा कार्यक्रम की प्रति, विषय न्यूमेरिक कोड, गश्ती जोनल पंजी, कदाचार संबंधी प्रपत्र, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (R1, A1, M1 to M10) एवं अन्य प्रपत्रादि** केन्द्रवार व्यवस्थित पैकिंग कर परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक / उनके द्वारा प्राधिकृत दूत को वितरण हेतु भेजा जा चुका है, जो **दिनांक 07.11.2023** को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में वितरण हेतु उपलब्ध रहेगा।

3. अंकनीय है कि प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर दोनों पालियों में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र / छात्राओं के उपयोग **हेतु उनके नाम, फोटो, रौल कोड, रौल नंबर, परीक्षा केन्द्र आदि विवरणी सहित सभी विषयों के डाटायुक्त (Variable) सामग्री यथा– उत्तरपुस्तिका, उपस्थिति पत्रक (A & B) एवं अनुपस्थिति पत्रक समिति के चयनित एजेंसी द्वारा दिनांक 05.11.2023 तक** प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों को सीधे व्यवस्थित पैकिंग में आपूर्ति कर दी गयी है।

4. यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किसी छात्र / छात्रा की विवरणी सहित आपूरित डाटायुक्त (Variable) सामग्री में मुद्रण दोष अथवा त्रुटि / विसंगति पाये जाने के कारण उत्पन्न आकस्मिकता की स्थित में उपयोग हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सम्मिलित होने वाले कुल छात्र / छात्राओं का 04 प्रतिशत एवं 0.5 प्रतिशत डाटारहित (Non Variable) सामग्री यथा–उत्तरपुस्तिका, उपस्थिति पत्रक (A & B) एवं अनुपस्थिति पत्रक प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आपर्ति की जा चुकी है। इस परिदृश्य में यह आवश्यक है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक अपने केन्द्र के लिए 04 प्रतिशत डाटारहित (Non Variable) सामग्री अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर उनके अधियाचना पर रिजर्व स्टॉक के रूप में संधारित 0.5 प्रतिशत डाटारहित (Non Variable) सामग्री जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। **यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि डाटारहित सामग्रियों का उपयोग आकस्मिकता की स्थिति में ही किया जायेगा। यदि डाटायुक्त सामग्री उपलब्ध है, तो किसी भी परिस्थिति में इनका उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना अपेक्षित है।**

5. इस परिदृश्य में सभी केन्द्राधीक्षक को निदेशित किया जाता है कि वे स्वयं अथवा अपने विधिवत् प्राधिकृत विशेष दूत के माध्यम से कंडिका–2 एवं 4 में वर्णित सामग्रियों को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से दिनांक 07.11.2023 तक अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लेंगे। साथ ही **कंडिका–3 में वर्णित सामग्रियाँ अधिकृत एजेंसी के प्रतिनिधि से प्राप्त कर सभी केन्द्राधीक्षक अपने केन्द्र पर सम्मिलित होने वाले छात्र / छात्राओं के अनुसार रौल शीट के आधार पर जाँच कर यह अश्वस्त हो लेंगे कि उनके परीक्षा केन्द्र की सभी सामग्री सही–सही प्राप्त है एवं इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि / विसंगति नहीं है तथा अब कोई सामग्री प्राप्त करना शेष नहीं है,** ताकि परीक्षा संचालन के समय कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। यह भी निदेश है कि प्राप्त उपर्युक्त सामग्रियों को सुरक्षित संधारण करने तथा गोपनीयता बनाये रखने एवं यह किसी भी परिस्थिति में क्षतिग्रस्त न हो, इसके लिए भी अनिवार्य रूप से अपने स्तर पर सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

6. संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुरोध है कि आपके कार्यालय में आपूरित कंडिका–2 एवं 4 में वर्णित सामग्रियों को अपने जिलान्तर्गत सभी केन्द्राधीक्षक / उनके द्वारा विधिवत् प्राधिकृत दूत को **दिनांक 07.11.2023 तक** अनिवार्य रूप से वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। यह भी अनुरोध है कि परीक्षा केन्द्र को प्राप्त / आपूरित उपर्युक्त सामग्रियों के जाँच कर आश्वस्त हो लेने तथा इन सामग्रियों को सुरक्षित संधारण कराने, इनकी गोपनीयता बनाये रखने एवं किसी भी परिस्थिति में यह क्षतिग्रस्त न हो, के लिए अपने स्तर पर भी आवश्यक कार्रवाई करते हुए केन्द्राधीक्षक को भी स्पष्ट निदेश देना सुनिश्चित करेंगे।

7. यह भी उल्लेखनीय है कि आपूरित सामग्रियों में से कोई सामग्री अप्राप्त / अनुपलब्ध / त्रुटिपूर्ण / मुद्रणदोष हो एवं किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो इसकी अधियाचना / उपलब्धता हेतु आवश्यक सूचना अविलंब परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) का मोबाईल नंबर–**9431025181**, उप परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) के मोबाईल नंबर–**7061281841** तथा प्रशाखा पदाधिकारी (उ0मा0) का मोबाईल नंबर–**9905353078, 9431077898** पर सूचित कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इस संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0) के ई–मेल आई0 डी0 **coe.interbseb@gmail.com** पर भी किसी समस्या से अवगत कराया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक (उ0मा0)

Scanned with CamScanner